न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 23/2022

1. जगदीश पुत्र कन्हैयालाल
2. बनवारी पुत्र कन्हैयालाल
3. रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल
4. सुरजा पुत्री कन्हैयालाल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
..अपीलांट्स

बनाम

1. लड्डो देवी पम्नि पूरण कथित पत्नि स्व. रामजीलाल जाति माली निवासी निवासी बिजोरी की ढाणी, भांडारेज, तहसील दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान
3. तहसीलदार नांगल राजावतान
4. उप तहसीलदार पापडदा

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 2117 विरूद्ध उप तहसीलदार पापडदा
दिनांक 30.5.2022 दिनांक 30.5.2022

उपस्थित–1.श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से
2. अप्रार्थी सं0 1 लडडो देवी स्वयं उपस्थित।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

<u>निर्णय</u> दिनांक: 08.06.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि उपतहसीलदार, पापडदा ने दिनांक 30.5.2022 को ग्राम खवारावजी का नामान्तरण सं0 2117 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख व टिप्पणी मंगवायी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नंबर 3467 रकबा 0.21है. खसरा नं0 3468 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 3469 रकबा 0.40है. खसरा नंबर 3470 रकबा 0.32है. स्थित है, जिसकी पूर्व में खातेदारी अपीलांटस की माता ज्याना देवी पत्नि कन्हैयालाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि को अपीलांट्स की माता ने वर्ष 2006–07 में जरिये विकय पत्र कय किया था। अपीलांटस की माता की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरण खोलने के लिए अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया जिस पर गौर किये बिना हल्का पटवारी एवं उपतहसीलदार पापडदा ने रेस्पो.सं0 1 को अपीलांट के भाई मृतक रामजीलाल की पत्नि बताकर अपीलांट्स [illegible] नाम भी उक्त भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण खोल दिया, जबकि रे[illegible]का ज्याना देवी पत्नि कन्हैयालाल की विरासत से कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ उपतहसील[illegible] पापडदा द्वारा खोला गया उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध एवं तथ्यों को [illegible] निरस्त [illegible] है। रेस्पो. सं.1 का मृतक रामजीलाल जो कि अपीलांट्स का भाई [illegible] से किसी प्रकार का संबंध नहीं है ना ही वह रामजीलाल की पत्नि है किन्तु रेस्पों. सं.1 ने पटवारी हल्का व उपतहसीलदार पापडदा से साज कर सरासर गलत तरीके से अपने आपको रामजीलाल की पत्नि बताकर नामान्तरण खुलवाया है। रेस्पो. सं.1 ने कथित रूप से रामजीलाल जो कि अपीलांट्स का भाई था, की कथित पत्नि बतलाकर उक्त नामान्तरण अपने नाम से खुलवाया है जबकि रेस्पों. सं01

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 2 पर

बिजौरी की ढाणी में निवासी पूरण सैनी की विवाहिता पत्नि है तथा लडडो पत्नि पूरण के दो पुत्र विजेन्द्र व राजेन्द्र है, जिनकी उम्र भी लगभग 30 वर्ष से अधिक है तथा दो पुत्रियां है जो कि निर्वाचक नामावली विधानसभा क्षेत्र सिकराय के अवलोकन से ही प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है किन्तु रेस्पों.सं.1 ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके रामजीलाल की विरासत का नामान्तरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया। पटवारी हल्का एवं उपतहसीलदार पापडदा ने ज्याना देवी पत्नि कन्हैयालाल के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना फौरी तौर पर रेस्पों. सं. 1 को कथित रूप से रामजीलाल की पत्नि मानकर नामान्तरण खोला गया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पों. सं01 का ज्याना देवी की विरासत से कोई संबंध वास्ता नहीं है किन्तु रेस्पों. सं.1 उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम खुल जाने से आराजी का विक्रय किये जाने हेतु आमादा है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 2117 विरासत वाके ग्राम खवारावजी जो उपतहसीलदार पापडदा द्वारा दिनांक 30.5.2022 को तस्दीक किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पों. सं.1 ने बहस के दौरान स्वयं न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर शपथपत्र प्रस्तुत किया एवं इकबालिया बयान दिया कि उप तहसीलदार पापडदा द्वारा जो विरासत का नामान्तरण सं. 2117 दिनांक 30.5.2022 को खोला गया गया है वह गलत है। रेस्पों. सं.1 लडडो देवी पूरण चंद सैनी पुत्र श्री गंगासहाय सैनी की पत्नि है जिसके 4 पुत्र पुत्रियां जिनके नाम राजेन्द्र, विजेन्द्र एवं सरोज एवं सुमन है जिनके विवाह रेस्पों. लडडो देवी के द्वारा किये जा चुके है। रेस्पों. सं.1 का स्व.रामजीलाल सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी निवासी खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के साथ कोई संबंध, रिश्ता व वास्ता नहीं है और ना ही पूर्व में था। रेस्पों. सं01 लडडो देवी ने यह भी कथन किया कि वह रामजीलाल सैनी की कानूनी वारिस नहीं है। ग्राम खवारावजी के खाता सं. 814, 208, 549 व 167 जो स्व. रामजीलाल सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी की माता ज्याना देवी निवासी खवारावजी के नाम से जो खातेदारी चली आ रही है, में मुझ लड्डो देवी का कोई लेना देना नहीं है। उक्त खातेदारी भूमि में स्व.रामजीलाल सैनी के विधिक वारिसान के नाम से नामान्तरण खोले जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। अतः जो नामान्तरण सं0 2117 दिनांक 30.5.2022 को खोला गया है उसे दुरूस्त कर सही वारिसान के नाम से खोला जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि उपतहसीलदार पापडदा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण में नियमानुसार अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हलका द्वारा नियमानुसार भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी अनुसार व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की पालना में सही निर्णित किया गया है। नामान्तरण के प्रक्रियाधीन अवधि में किसी भी पक्षकार की ओर से प्रस्तावित प्रविष्टियों के संबंध में समय रहते किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। उप तहसीलदार पापडदा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण को नियमानुसार तस्दीक किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

उपतहसीलदार पापडदा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार ग्राम खवारावजी के फोती काश्तकार ज्याना पत्नि कन्हैयालाल सैनी के नाम की खातेदारी भूमि के इन्तकाल दर्ज करने संबंधी वारिसान जगदीश प्रसाद सैनी द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हलका के द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न साक्ष्य दस्तावेजों की मौके पर जांच की गई। दिनांक 7.5.2022 को मजमें आम में हल्का पटवारी द्वारा की गई जांच में ग्राम के उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मृतक ज्याना देवी पत्नि स्व.कन्हैयालाल सैनी निवासी खवारावजी की दिनांक 14.1.2020 को मृत्यु होने बाबत पुष्टि की गई व मृतक के वारिसान के रूप में रामस्वरूप, जगदीश, बनवारी पुत्र एवं सुरजा पुत्री एवं एक अन्य मृतक पुत्र रामजीलाल का होना बताया गया। मृतक रामजीलाल का पूर्व में लडडो देवी के साथ विवाह होने की जानकारी दी गई। मजमें आम में जानकारी से संतुष्ट होकर मृतका की खातेदारी भूमि वाके ग्राम खवारावजी में उक्तानुसार वारिसान के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार नामा. सं0 2117 दर्ज किया गया है। विरासत का नामान्तरण दर्ज कर आगामी प्रकिया अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त पापडदा द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दर्ज वारिसान एवं रिकार्ड इन्द्राज की पुनः जांच कर सही पाये जाने संबंधी टिप्पणी अंकित की गई। पटवारी हल्का द्वारा नामानतरण दिनांक 30.5.2022 को निर्णय हेतु पेश किये जाने पर संपूर्ण इन्द्राज की जांच व भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी अनुसार व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की पालना अनुसार सही पाये जाने पर निर्णित किया गया है। नामान्तरण के प्रकियाधीन अवधि में किसी भी पक्षकार की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपतहसीलदार, पापडदा ने दिनांक 30.5.2022 को ग्राम पापडदा का नामान्तरकरण सं0 2117 विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में ज्याना पत्नि कन्हैयालाल के फौत होने पर ज्याना की विरासत जगदीश, बनवारी, रामस्वरूप पुत्र एवं सुरजो पुत्री तथा लडडो पत्नि स्व. रामजीलाल सैनी के नाम पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच भू अभिलेख निरीक्षक के जांच अंकित कर उपतहसीलदार पापडदा ने दिनांक 30.5.2022 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, रेस्पों. सं.1 लडडो का नाम विरासत के नामान्तरण में से भूमि की प्रविष्टि हटवाने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट्स व रेस्पों. सं0 1 के हक में नामांतरण संख्या 2117 दिनांक 30.5.2022 को तस्दीक किया गया है। रेस्पों. सं.0 1 लडडो के द्वारा नियत दिनांक को न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित होकर प्रश्नगत भूमि से कोई लेना देना नहीं होना बताया है। रेस्पों. सं01 के भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में भी पति का नाम रामजीलाल नहीं होकर पूरण दर्ज है। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र सिकराय की निर्वाचक नामावली में भी रेस्पों. का नाम लडडो एवं पति का नाम पूरण अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा मृतक ज्याना देवी के फोत होने पर मृतका ज्याना देवी के वारिसान के साथ ही मृतक पुत्र रामजीलाल की विरासत लड्डो के नाम दर्ज किये जाने पर बाद जांच उपतहसीलदार पापडदा ने विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 2117 वाके ग्राम खवारावजी पर उपतहसीलदार पापडदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 09 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा